न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, लिंक कोर्ट रीवा

(म0प्र0)

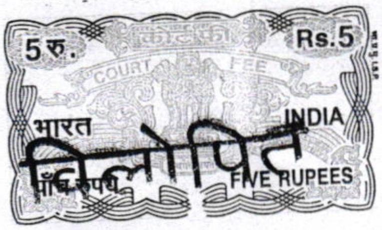

निगरानी- 3492/2018/रीवा/भू.रा.

1. श्री गजाधर प्रसाद तिवारी पिता स्व. श्री महावीर प्रसाद तिवारी, उम्र 65 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम–पुरैनी जागीर, तहसील हुजूर, सर्किल बनकुइयाँ, जिला–रीवा (म0प्र0)

श्री रसेन्द्रमणि तिवारी पिता स्व. श्री महावीर प्रसाद तिवारी, उम्र 61 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम–पुरैनी जागीर, तहसील हुजूर, सर्किल बनकुइयाँ, जिला–रीवा (म0प्र0)

श्री ________ द्वारा आज दि. 6-6-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 14-6-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

——निगरानीकर्तागण

बनाम्

श्री संत प्रसाद तिवारी पिता स्व. श्री महावीर प्रसाद तिवारी, उम्री 75 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम–पुरैनी जागीर, तहसील हुजूर, सर्किल बनकुइयाँ, जिला–रीवा (म0प्र0)

——गैरनिगरानीकर्ता

6/6/18

निगरानी विरूद्ध नायब तहसीलदार सर्किल बनकुइयाँ, तहसील हुजूर, जिला–रीवा (म0प्र0) के प्रकरण क्र. 17/अ–27/17–18 अंतरिम आदेश दिनांक 22.03.2018 के जरिये जो अवैध आदेश पारित व प्रसारित किया गया।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश- ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग./3492/18/रीवा/भू.रा. गजाधर बनाम संतप्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14.06.18	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित हुये। उन्हें प्रकरण में कायमी पर सुना गया। मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया तथा तर्को का परिशीलन किया। नायब तहसीलदार के आलोच्य आदेश दिनांक 22/03/18 में पुर्नस्थापन आवेदन स्वीकार किया जाकर अनावेदक को तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया है।उक्त आदेश के अनुसार प्रकरण में आगामी तारीख पेशी नियत है तथा उभयपक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्राप्त है अत: ऐसी स्थिति में इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अत: इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी औचित्य हीन होने से अग्राह्य की जाती है। 14/6/18 सदस्य	